झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
JHARKHAND MUKTI MORCHA
केन्द्रीय समिति Central Committee

पत्रांक/Ref. JMM/174/F-54/2026-27 दिनांक/Date 13/06/2026

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,

झारखंड, राँची।

विषय: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत गृह-गणना (Household Enumeration) चरण में Anomaly एवं Unmapped मतदाताओं के दस्तावेज़ संग्रहण संबंधी स्पष्टीकरण एवं आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

महोदय,

झारखंड मुक्ति मोर्चा का ध्यान विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की वर्तमान प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक एवं प्रशासनिक प्रश्न की ओर गया है।

गृह-गणना (Household Enumeration) के दौरान ऐसे मतदाताओं के संबंध में, जिनके अभिलेखों में Anomaly (विसंगति) अथवा Unmapped Status (अमानचित्रित स्थिति) चिन्हित की जाती है, दस्तावेज़ों के संग्रहण एवं सत्यापन को लेकर विभिन्न जिलों एवं निर्वाचन अधिकारियों के बीच असमान व्याख्याएँ सामने आ रही हैं।

यह ज्ञात है कि बिहार में आयोजित समान प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों में गृह-गणना चरण में ही आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने एवं अभिलेखित करने की व्यवस्था अपनाई गई थी, जिससे मतदाताओं को बाद में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बन सके।

फोन/Phone : 2542009, फैक्स/Fax : 2542009
प्र. का. : बरियातु रोड, राँची-834009, H.O. : Bariatu Road, Ranchi- 834009
Phone : 7541891222
E-mail : jharkhandmuktimorcha@yahoo.co.in

अतः कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें—

1. क्या झारखंड में संचालित SIR के अंतर्गत गृह-गणना चरण के दौरान ऐसे मतदाताओं से, जिनके संबंध में Anomaly अथवा Unmapped स्थिति चिन्हित की गई हो, आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त किए जा सकते हैं?
2. यदि दस्तावेज़ संग्रहण की अनुमति है, तो क्या इस संबंध में राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEOs), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (EROs), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AEROs) तथा बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs) को स्पष्ट एवं एकरूप निर्देश जारी किए गए हैं?
3. यदि ऐसे निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, तो राज्यभर में एक समान कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए तत्काल स्पष्ट परिपत्र जारी किया जाए।
4. यदि झारखंड में बिहार से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उसके विधिक, प्रशासनिक एवं प्रक्रियागत आधार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाए ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

मतदाता सूची की शुद्धता एवं प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। अतः अपेक्षा है कि इस विषय पर शीघ्र स्पष्टीकरण जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे।

सधन्यवाद,

भवदीय,

**(विनोद कुमार पांडेय)**
महासचिव